

27-9-19

48

कार्यालय आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

संख्या: 4298/8-54(2018-19

दिनांक: 21 सितम्बर, 2019

आदेश

शासनादेश संख्या-68/3-2(6)-1979-रा0-1, दिनांक 05.9.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए शासकीय अधिसूचना संख्या 29/741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03.6.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं मुकेश कुमार मेश्राम, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ सूची में उल्लिखित भूमि जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.6.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। नीचे अनुसूची के स्तम्भ-7 में अंकित भूमि को केन्द्र सहायतित योजना Establishment of new medical college attached with existing district/referral hospitals (फेज-3) के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में प्रस्तावित राजकीय मेडिकल कालेज के निर्माण हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन में रखते हुये उक्त शासनादेश के क्रम में निःशुल्क पुनर्ग्रहीत की जाती है।

क्र. सं.	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्रामसभा	गाटा संख्या/ क्षेत्रफल	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	खीरी	लखीमपुर	खीरी	सैदापुर भाऊ	सैदापुर भाऊ	गाटा संख्या 754मि0/ 3.597 हेक्टेयर	चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन में रखते हुये जनपद लखीमपुर खीरी में प्रस्तावित राजकीय मेडिकल कालेज के निर्माण हेतु स्थापना हेतु

ADM/DLRC

DM
2579119

(मुकेश कुमार मेश्राम)
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, खीरी को उनके पत्र संख्या-12ए/राजकीय मेडिकल कालेज-प्रस्ताव/पुनर्ग्रहण/डीएलआरसी, दिनांक 21.9.2019 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रतियों कलेक्ट्रेट न्यायालय के सूचना पट पर, तहसील भवन व सम्बन्धित ग्राम में किसी सहजदृश्य स्थान पर चर्चा कराये तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चर्चा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या शासन के सम्बन्धित विभागों को शीघ्र उपलब्ध कराये। भूमि का भू-अभिलेखों में नामान्तरण एवं कब्जा हस्तान्तरण किया जाये। तदनुसार कृत कार्यवाही से राजस्व अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ सहित इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 5- गार्ड फाईल हेतु।

827
26-9-19

21-9-19
(रण विजय यादव)
अपर आयुक्त(प्रशासन),
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

कार्यालय आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

संख्या: 4422/8- (2018-19)

दिनांक: 30 सितम्बर, 2019

आदेश

शासनादेश संख्या-68/3-2(6)-1979-रा0-1, दिनांक 05.9.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए शासकीय अधिसूचना संख्या 29/741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03.6.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिवारों का प्रयोग करते हुए मैं मुकेश कुमार मेश्राम, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ सूची में उल्लिखित भूमि जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.6.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। नीचे अनुसूची के स्तम्भ-7 में अंकित भूमि को केंद्र सहायित योजना Establishment of new medical college attached with existing district/referral hospitals (फेज-3) के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में प्रस्तावित राजकीय मेडिकल कालेज के निर्माण हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन में रखते हुये उक्त शासनादेश के क्रम में निःशुल्क पुनर्गहीरा की जाती है।

क्र. सं.	जिला	तहसील	परगना	गांव	ग्रामसभा	गादा संख्या/क्षेत्रफल	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गहीरा की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	खीरी	लखीमपुर	खीरी	सैदापुर भाऊ	सैदापुर भाऊ	गादा संख्या 754मि0/3.000 हेक्टेयर	चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन में रखते हुये जनपद लखीमपुर खीरी में प्रस्तावित राजकीय मेडिकल कालेज के निर्माण हेतु स्थापना हेतु

30/09/19
(मुकेश कुमार मेश्राम)
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पुष्पांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
 - 2- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, लखनऊ।
 - 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
 - 4- जिलाधिकारी, खीरी को उनके पत्र संख्या-12ए/रा0म0का0-प्रस्ताव/पुनर्गहीरा/सैदापुरभाऊ/डीएलआरसी, दिनांक 30.9.2019 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर, तहसील भवन व सम्बन्धित ग्राम में किसी सहजदृश्य स्थान पर चरखा कराये तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चरखा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या शासन के सम्बन्धित विभागों को शीघ्र उपलब्ध कराये। भूमि का भू-अभिलेखों में नामान्तरण एवं कच्चा हस्तान्तरण किया जाये। तदनुसार कृत कार्यवाही से राजस्व अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ सहित इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
 - 5- गार्ड फाईल हेतु।

30.9.19
(म विजय यादव)
अपर आयुक्त(प्रशासन),
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।